न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—03 / 2018 (2018 / 00100) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—भैरूलाल पिता मांगु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—लाडु पिता मांगु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—पानी पुत्री मांगु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—सायरी पुत्री मांगु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—सोहनी पुत्री मांगु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—छोगा पिता गोमा मांगु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—फुली बेवा गोमा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—पारसदेवी पत्नि लादुलाल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—मगनीराम पिता प्यारचन्द रेगर निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—संतोकी पत्नि मोहनलाल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—कोयली पत्नि गोपीलाल बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—भैरूलाल पिता चान्दु हरिजन निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—शिवलाल पिता चान्दु हरिजन निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—दिनेश पिता चान्दु हरिजन निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—माया पुत्री चान्दु हरिजन निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—इन्द्रा पुत्री चान्दु हरिजन निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—जमना पुत्री चान्दु हरिजन निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11—कमला बेवा चान्दु हरिजन निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12—जमना पत्नि सोहन कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
13—गोपीलाल पिता मांगीलाल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
14—नारायणी पत्नि सोहनलाल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. सुनिल बापना — अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 25.02.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में साबिक आराजी संख्या 374 / 1झ रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित थी जो प्रार्थीगण के पूर्वज चन्द्रा पिता हजारी कुमावत को जरिये आवंटन प्राप्त हुई उक्त भूमि साबिक आराजी संख्या 374 / 1 मे से आवंटन हुई थी जो एक ही चक था। वक्त आवंटन प्रार्थीगण के पूर्वज [illegible] सीमांकन कर भूमि कब्जा सिपूर्द किया जिस पर वक्त आंवटन से ही प्रार्थीगण के पूर्वज [illegible] में प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त आवंटन के पश्चात् साबिक आराजी संख्या [illegible] / 1 मे से ही अन्य खातेदारान को भूमि आवंटन हुई जिसके बटा नम्बर साबिक [illegible] 374 / 1ग [illegible] किये गये जो प्रार्थीगण की भूमि के पास स्थित है। [illegible] भू प्रबन्ध विभाग द्वारा [illegible] आराजी संख्या 374 / 1झ के नवीन नम्बर 701 रकबा 2.24 है0 कायम किये गये तथा इसी प्रकार साबिक आराजी संख्या 374 / 1ड के नवीन नम्बर 693 व 695 कायम किये गये लेकिन नवीन नक्शा ट्रेस में हाल आराजी संख्या 702 को हाल आराजी संख्या 693 व 695 के पास अकिंत नही कर कहीं दुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:32:54 IST
Reason: SelfAttested

अकिंत कर दिया जहां प्रार्थीगण का कब्जा नही है। प्रार्थीगण के पूर्वज को जहां भूमि सिपूर्द की गई वही पर प्रार्थीगण का कबिज है जो नवीन नम्बर 696 व 697 अकिंत कर दिये जबकि प्रार्थीगण की साबिक आराजी को सेटलमेन्ट अधिकारियो को उसी अनुसार अकिंत करनी चाहिये थी। साबिक नक्शे अनुसार प्रार्थीगण काबिज है उसके नवीन नम्बर 696 व 697 अंकित कर दिये जिसमें आराजी संख्या 696 मे से 1.30 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 5 से 9 के पिता एवं विपक्षी संख्या 10 के पति चांदु हरिजन को आवटित कर दी जिसमें से 0.87 हेक्टेयर भूमि चांदु हरिजन ने विपक्षी संख्या 2 मगनीराम को विक्रय कर दी जिसके बटा नम्बर 2042 / 696 अंकित किये गये व बाकी बची 0.43 हेक्टेयर भूमि चांदु हरिजन के नाम पर रह गई जिसके बटा नम्बर 2043 / 696 अकित कर दिये। हाल आराजी संख्या 696 के साबिक आराजी संख्या 374 / 1ट रकबा 6 बीघा था जिसे साबिक नक्शे अनुसार नवीन नक्शे में तरमीम नहीं कर प्रार्थीगण की साबिक आराजी संख्या 374 / 1झ की जगह तरमीम कर दिया गया। इसी प्रकार साबिक आराजी संख्या 374 / 1 के नवीन नम्बर 697 रकबा 1.41 हेक्टेयर कायम किये जिसमें से रकबा 0.38 हेक्टेयर भूमि कमला पत्नी श्यामु कुमावत को आवंटित की गई जिसके बटा नम्बर 1846 / 697 कायम हुए जो वर्तमान में संतोकी पत्नी मोहन लाल कुमावत के नाम पर दर्ज है। इसी प्रकार 0.38 हेक्टेयर भूमि संतोकी कुमावत को आवंटित कर दी जिसके बटा नम्बर 1847 / 697 कायम कर दिये इसी प्रकार 0.21 हेक्टेयर भूमि चेना पिता छीतर बलाई को आवंटित की गई जिसके बटा नम्बर 1845 / 697 कायम जो वर्तमान में कोयली पत्नी गोपी बलाई के नाम दर्ज है। इसी प्रकार 0.40 हेक्टेयर भूमि सुवा पिता गोदा कुमावत को आवंटित की गई जिसके बटा नम्बर 1844 / 697 रकबा 0.40 हेक्टेयर कायम हुए जो वर्तमान में गोपीलाल पिता मांगीलाल कुमावत व नारायणी पत्नि सोहन लाल कुमावत के नाम पर दर्ज हैं इसी प्रकार साबिक आराजी संख्या 374 / 1छ रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि मदनलाल पिता हजारी गर्ग को आवंटित की गई जिसके नवीन नम्बर 697 / 1630 कायम किये गये जो वर्तमान मे जमना देवी पत्नि सोहनलाल कुमावत के नाम पर दर्ज है। आंवटन के बाद सभी आवंटन धारियो का हाल आराजी संख्या 696 व 697 पर कब्जा कभी नही रहा है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की हाल आराजी संख्या 702 को साबिक नक्शा अनुसार हाल आराजी संख्या 696 व 697 के स्थान पर दुरस्ती करा अकिंत करवाया जावे व इसी अनुसार नक्शे मे भी दुरस्ती कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 30.05.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटीस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी कमांक 2 लगायत 14 बावजुद सूचना के उपस्थित नही है अतः इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 1 फौरमल पक्षकार होने से कोई दाद नही चाही गई है।

तहसीलदार रायपुर से रेकार्ड एवं मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम थला की आराजी संख्या 696, 693, 695 व 702 की राजस्व रेकार्ड और मौका स्थिति के सम्बन्ध में अकिंत किया कि आराजी संख्या 693, 695 कुल किता 2 रकबा 1.30 है0 पर सम्पूर्ण रूप से प्रार्थीगण काबिज है। आराजी संख्या 702 रकबा 2.24 है0 पर खातेदार का कब्जा नही है ग्राम थला की बिलानाम [illegible] 1.46 है0 दर्ज रकार्ड है जिसमें से 1.29 है0 पर प्रार्थीगणो का कब्जा है शेष 0.17 है0 मौ[illegible] पर [illegible] होकर उत्तरी सीमा पर रास्ते के आवागमन में है। ग्राम थला की आराजी संख्या 696 रकबा [illegible] है0 का विभाजन होने से आराजी संख्या 2042 / 696 रकबा 0.87 है0 भूमि [illegible] नाम दर्ज रेकार्ड है जिसमें से 0.57 है0 भूमि पर ही खातेदार का कब्जा है शेष 0.[illegible] है0 भूमि पर प्रार्थीगणो का कब्जा है। आराजी संख्या 2043 / 696 रकबा 0.43 है0 भूमि भैरूलाल, शिवलाल, दिनेश पिता चान्दु हरिजन के नाम दर्ज है जिसमे से 0.27 है0 भूमि पर ही खातेदार का कब्जा है शेष 0.16 है0 भूमि पर प्रार्थीगणो का कब्जा है। आराजी संख्या 697 रकबा 1.41 है0 के विभाजन से 1844 / 697 रकबा 0.40 है0 भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:32:54 IST
Reason: SelfAttested

गोपीलाल पिता मांगीलाल, नारायणीदेवी पत्नि मांगीलाल कुमावत के नाम दर्ज है। आराजी संख्या 1845/697 रकबा 0.21 है0 भूमि गोपी पिता चैना बलाई के फोत होने के बाद वारीसान द्वारा विक्रय करने से गीतादेवी पत्नि रघुनाथ कालबेलिया के नाम दर्ज रेकार्ड है जबकि उक्त सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थीगणो का कब्जा है। आराजी संख्या 1846/697 रकबा 0.38 है0 एवं आराजी संख्या 1847/697 रकबा 0.38 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.76 है0 भूमि संतोकी पत्नि मोहन कुमावत पाटियाखेड़ा के नाम दर्ज रेकार्ड है जबकि आराजी संख्या 1846/697 रकबा 0.38 है0 पर प्रार्थीगणो का कब्जा है शेष आराजी संख्या 1847/697 रकबा 0.38 है0 पर खातेदार काबिज है। आराजी संख्या 1848/697 रकबा 0.04 है0 भूमि बिलानाम दर्ज रेकार्ड है जो रास्ते के रूप मे काम आ रही है। आराजी संख्या 702 रकबा 2.24 है0 भूमि प्रार्थीगणो के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है परन्तु उक्त सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थीगणो का कब्जा नही होकर विपक्षीगणो का पड़त आशिंक आशिंक भाग पर है एवं अधिकांश भाग खाली पड़त पड़ा हुआ है। उक्त प्रकरण में विपक्षीगणो को आवंटित भूमि जिसमे खातेदारी रकबा के मुकाबले कब्जा में कमी है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न साबिक व नवीन राजस्व रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्टो पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थीगण के साबिक नक्शे में दर्ज आराजी संख्या 374/1झ रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा के नवीन नम्बर 702 कायम किये गये जबकि प्रार्थीगण का कब्जा तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट अनुसार आराजी संख्या 702 पर नही होकर नवीन आराजी संख्या 694 रकबा 1.46 है0 मे से 1.29 है0, आ.सं. 2042/696 रकबा 0.87 है0 मे से 0.30 है0, आ.सं. 2043/696 रकबा 0.43 है0 मे से 0.16 है0, आराजी संख्या 1845/697 रकबा 0.21 है0 सम्पूर्ण, आराजी संख्या 1846/697 रकबा 0.38 है0 सम्पूर्ण इस प्रकार कुल किता 5 रकबा 2.24 है0 भूमि पर प्रार्थीगणो का कब्जा है एवं प्रार्थीगणो का अन्य खातेदारो की भूमि पर जो कब्जा पाया गया उसके बजाय विपक्षीगणो का प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 702 पर पड़त के रूप में कब्जा होना रिपोर्ट में अकिंत किया है। नवीन आराजी संख्या 702 एवं मूल 696, 697, 693 एवं 695 आदि साबिक खसरा नम्बर मूल 374 से ही बनाये गये है। मौके पर प्रार्थीगणो एवं विपक्षीगणो का कब्जा है कब्जे के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति होना जाहि र नही हुआ है ऐसी स्थिति में मौका अनुसार राजस्व नक्शे में दुरस्त किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि ग्राम थला पटवार हल्का थला के आराजी संख्या 694 रकबा 1.46 है0 मे से 1.19 है0, आराजी संख्या 2042/696 रकबा 0.87 है0 मे से 0.30 है0, आराजी संख्या 2043/696 रकबा 0.43 है0 मे से 0.16 है0, आराजी संख्या 1845/697 रकबा 0.21 है0 सम्पूर्ण, आराजी संख्या 1846/697 रकबा 0.38 है0 सम्पूर्ण इस प्रकार कुल किता 5 रकबा 2.24 है0 भूमि साबिक नक्शे के अनुरूप प्रार्थीगण का कब्जा अनुसार उनके नाम की जावे एवं मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए आराजी संख्या 702 रकबा 2.24 है0 मे से 0.30 है0 भूमि मगंनीराम पिता प्यारचन्द रेगर, एवं 0.16 है0 भूमि भैरूलाल, शिवलाल, दिनेश पिता चान्दु हरिजन वगैरा, 0.21 है0 भूमि गीतादेवी पत्नि सुवानाथ कालबेलि[illegible] मोहन कुमावत के नाम दर्ज की जावे एवं शेष रकबा 1.19 है0 भूमि बिलानाम सरक[illegible]ते हुए राजस्व नक्शे में तरममी की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 25[illegible]जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:32:54 IST
Reason: SelfAttested

25.02.2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—03 / 2018 (2018 / 00100) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—भैरूलाल पिता मांगु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—लाडु पिता मांगु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—पानी पुत्री मांगु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—सायरी पुत्री मांगु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—सोहनी पुत्री मांगु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—छोगा पिता गोमा मांगु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—फुली बेवा मांगु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—पारसदेवी पत्नि लादुलाल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—मगनीराम पिता प्यारचन्द रेगर निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—संतोकी पत्नि मोहनलाल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—कोयली पत्नि गोपीलाल बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—भैरूलाल पिता चान्दु हरिजन निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—शिवलाल पिता चान्दु हरिजन निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—दिनेश पिता चान्दु हरिजन निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—माया पुत्री चान्दु हरिजन निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—इन्द्रा पुत्री चान्दु हरिजन निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—जमना पुत्री चान्दु हरिजन निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11—कमला बेवा चान्दु हरिजन निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12—जमना पत्नि सोहन कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
13—गोपीलाल पिता मांगीलाल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
14—नारायणी पत्नि सोहनलाल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट.

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि ग्राम थला पटवार हल्का थला के आराजी संख्या 694 रकबा 1.46 है0 मे से 1.19 है0, आराजी संख्या 2042 / 696 रकबा 0.87 है0 मे से 0.30 है0, आराजी संख्या 2043 / 696 रकबा 0.43 है0 मे से 0.16 है0, आराजी संख्या 1845 / 697 रकबा 0.21 है0 सम्पूर्ण, आराजी संख्या 1846 / 697 रकबा 0.38 है0 सम्पूर्ण इस प्रकार कुल किता 5 रकबा 2.24 है0 भूमि साबिक नक्शे के अनुरूप प्रार्थीगण का कब्जा अनुसार उनके नाम की जावे एवं मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए आराजी संख्या 702 रकबा 2.24 है0 मे से 0.30 है0 भूमि मगनीराम पिता प्यार[illegible] रेगर एवं [illegible] है0 भूमि [illegible]रूलाल, शिवलाल, दिनेश पिता चान्दु हरिजन वगैरा, 0.21 है0 भूमि गीतादेवी पत्नि सुवानाथ [illegible]या, 0.38 है0 भूमि संतोकी पत्नि मोहन कुमावत के नाम दर्ज की जावे एवं शेष रकबा [illegible] दर्ज करते हुए राजस्व नक्शे में तरममी की जावे। पालनार्थ तहसीलदार [illegible] लिखा जा[illegible]

हुक्मनामा आज दिनांक 25.[illegible] कार्यालय मोहर से जारी किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:32:54 IST
Reason: SelfAttested

25.02.2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा